# फर्द अहकाम

## कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता श्री उदयलाल जी निवासी देवगढ़ मदारिया, तह0 देवगढ़ जिला राजसमन्द

– अपीलांट

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंट

**किस्म मुकदमा**– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या** 26/2019

| कमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 11.07.2019**<br>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के पत्रांक एफ.1( )सू0अ0,05/2019/509–10 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2019 का सूचना का अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 29.03.2019 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना **प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग** की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांकःप.1( )सू0अ0.05/2019/274 दिनांक 29.03.2019 को प्रेषित किया गया। प्रार्थी/अपीलान्ट के आवेदन पत्र से चाही गई सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना इस अनुभाग को जरिये पत्रांक 47 दिनांक 02.05.2019 को भिजवाई गई जिसे इस अनुभाग के जरिये पत्रांक प.1( )सू0अ0,05/2019/361 दिनांक 08.05.2019 से धारा 7(6) के तहत निःशुल्क प्रार्थी अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकि है। अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार प्रार्थी अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकि है फिर भी प्रार्थी अपीलार्थी चाही गई सूचना के संबंध में अनुभाग में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन बाद अपनी संतुष्टि उपरान्त यदि सूचना के संबंध में चाहे तो प्रतियाँ प्राप्त कर सकता हैं।<br>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार बिन्दु संख्या 1 से 4 की सूचना जरिये पत्रांक 47 दिनांक 02.05.2019 से धारा 7(6) के तहत निशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है फिर भी अपीलार्थी अनुभाग में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन बाद अपनी संतुष्टि उपरान्त यदि सूचना के संबंध में चाहे तो प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है। इस संबंध मे प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये डाक से सूचित किया जा चुका है। | |

अतः अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व अपीलांर्थी को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द